कार्यालय प्रधानाचार्य
डा0बी0आर0 अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी
अम्बोटा जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश–177205

संख्याः जीपीए / जी–11 / 2004 / – दिनांकः– 01/08/2025

निविदा सूचना

डॉ0 बी0 आर0 अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी अम्बोटा के परिसर मे स्थित कैंटीन का ठेका वर्ष 2025–26 के लिए पुनः जारी करना प्रस्तावित है। सम्बन्धित कैंटीन के एक वर्ष के ठेके हेतू इच्छुक पार्टियों / व्यक्तियों से निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मुहरबंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं:

क्रम संख्या	खाद्य पदार्थ का नाम	मूल्य
	अनुलग्नक –अ (संलग्न)	

कैंटीन चलाने की निम्नलिखित नियम एवं शर्तें होंगीः–

1. निविदाएं अधोहस्ताक्षरी के नाम प्रेषित होनी चाहिए व लिफाफे के बाहर कोटेशन कैंन्टीन 2025 अंकित होना चाहिए।
2. निविदा दस्तावेज का मूल्य / Tender document fees: ₹300 / – (नॉन रिफंडेबल), डाक शुल्कः ₹100 / –
3. निविदा को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 23.08.2025 को 11.00 बजे से पहले जमा करवा सकते हैं। निविदाएं को दिनांक 23.08.2025 को अपराह्न 3.00 बजे सम्मेलन कक्ष (Conference Hall), डॉ. भीमराव अंबेदकर राजकीय बहुतकनीकी, अंबोटा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश – 177205 में समिति की उपस्थिति में खोली जाएगी जिसमें ठेकेदार यदि उपस्थित होना चाहते है तो हो सकते है ।
4. कैंटीन का किराया प्रतिमाह 1200 / – रूपये निर्धारित है, जिसे प्रत्येक माह की 07 तारीख से पहले संस्थान के खजांची के पास जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सफल निविदादाता को कैंटीन के लिए बिजली का शुल्क 200 / – रूपये प्रतिमाह तथा पानी का शुल्क 100 / – रूपये प्रतिमाह भी संस्थान के खजांची के पास हर माह की 07 तारीख से पहले जमा करवाना अनिवार्य होगा। यदि उपर्युक्त निर्धारित तिथि तक कैंटीन का किराया, बिजली एवं पानी का शुल्क जमा करने में असफल रहते हैं, तो आपको प्रति दिन 25 रूपये अतिरिक्त शुल्क जुर्माने के तौर पर अदा करना होगा जोकि 10 दिन बाद 50 / – रूपये प्रतिदिन हो जायेगा। बार– बार इस प्रकार की चूक करने पर आपका अनुबंध समाप्त किया जा सकता हैं एवं सुरक्षा राशि भी जब्त की जा सकती हैं।
5. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी स्तर पर निविदा को बिना कारण बताए रदद करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. कैंटीन चालक / धारक को एक वर्ष के लिए दी जाएगी व अवधि पूर्ण होने के पश्चात खाध पदार्थो की गुणवता, कैंटीन कर्मचारियों के व्यवहार के आधार और संस्थान स्तर पर गठित कैंटीन समिति की सिफारिश पर अधिकतम तीन वर्षो के लिए बढाई जा सकती हैं। अगर सम्बन्धित ठेका अगले एक वर्ष की अवधि के लिए बढाया जाता हैं तो उस स्थिति में संस्थान स्तर पर गठित कैंटीन समिति की सिफारिश पर खाद्य पदार्थो के मूल्यो एवं कैंटीन किराये में वृद्धि की जा सकती हैं जो कि हर वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।
7. सफल निविदाकर्ता को 10000 / – रू0 की वार्षिक धरोहर राशि बतौर एफ0डी0आर0 / डिमांड ड्राफ्ट प्रधानाचार्य डॉ0 बी0आर0 अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी अम्बोटा के नाम से जमा करवाना होगी और यदि सफल निविदादाता कैंटीन का ठेका मिलने के उपरान्त किसी कारण से कैंटीन का कार्य आरम्भ नहीं करता एवं वह कार्य साल के बीच में छोडकर चला जाता है तो उपरोक्त राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. कैंटीन चालक / धारक कैंटीन में उपयोग होने वाले बर्तन, फर्नीचर (टेबल, कुर्सिया इत्यादि) एवं अन्य सामान की व्यवस्था स्वयं करेगा। अगर कैंटीन चालक / धारक को उसके अनुरोध पर संस्थान कैंटीन हेतू कोई सामान उपलब्ध करवाता हैं तो उस स्थिति में कैंटीन धारक को उन वस्तुओ की बुक वेल्यू संस्थान में जमा करवानी होगी जो कि ठेका समाप्त होने उपरान्त और सामान की उसी स्थिति में वापसी पर कैंटीन धारक को वापिस देय हो जायेगी।
9. कैंटीन में लकडी एवं कोयला इत्यादि जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और व्यावसायिक गैस सिलिंडर का ही प्रयोग करना होगा।

10. जो बस्तुएं संस्थान में प्रतिबंधित हैं जैसे तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, शराब, गुटखा और पालिथिन इत्यादि नहीं बेचीं जाएगी । यदि कैंटीन चालक/धारक उपरोक्त प्रतिबंधित वस्तुए बेचतें हुए पाया जाता है या स्वयं आ अन्य कैंटीन कर्मचारी नशे में आता है तो उसका Contract समाप्त कर दिया जाएगा और नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं उसकी वार्षिक धरोहर राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
11. कैंटीन के आस–पास सफाई रखने की जिम्मेवारी कैंटीन धारक की होगी।
12. कैंटीन धारक को स्वयं और कैंटीन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, जोकि कैंटीन में कार्य करने हेतू सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किये हो के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड इस कार्यालय में कैंटीन शुरू करने से पहले जमा करवाने होगें।
13. कैंटीन चालक/धारक को निविदा में निर्धारित मुल्य पर ही वस्तुए देनी होगी यदि निर्धारित मूल्य से अधिक रेट पर खाद्य पदार्थ बेचता पाया गया तो उसका Contract समाप्त कर दिया जाएगा व उसकी वार्षिक धरोहर राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
14. निर्धारित मूल्य सूचि कैंटीन के अन्दर व बाहर अंकित/चस्पा होनी चाहिए।
15. संस्थान की कैंटीन कमेटी कभी भी कैंटीन का निरीक्षण कर सकती है और किसी भी प्रकार की अनियमियता पाये जाने पर नियम एवं शर्तानुसार कार्यवाही कर सकती है।
16. कैंटीन खोलने का समय सुबह 8.45 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगा।
17. जो कैंटीन चालक/धारक मीनू अनुसार सबसे कम रेट देगा अर्थात 15 खाद्य समाग्री में से जितनी अधिक खाद्य समाग्रीयों के लिए कम रेट देगा उसे बची हुई समाग्री के लिए बाकी निविदाओं के औसत के अनुसार रेट कम करने होगें। सम्बन्धित वस्तुओ के रेट वर्तमान बाजार रेट (स्थानीय बाजार रेट) से अधिक नहीं हो सकतें।
18. उक्त खाद्य पदार्थो की सूचि के अतिरिक्त खाद्य पदार्थो की संख्या में संशोधन किया जा सकता है, जिसका मूल्य बहुतकनीकी प्रशासन एवं आन्तरिक कैंटीन समिति से परामर्श के बाद ही निर्धारित किया जायेगा।
19. कैंटीन आरम्भ करने से पूर्व fssai Registration/license के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा और बाद में उसके बनने के बाद संस्थान में उसकी प्रतिलिपि जमा करवाना अतिआवश्यक है अतः कैंटीन आरम्भ करने से पहले fssai license के लिए जो आवेदन किया है उसकी प्रतिलिपि संस्थान में जमा करवाना अनिवार्य हैं।
20. न्यूनतम 18 वर्ष के स्वस्थ, चिकित्सकीय रूप से फिट कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। नावालिग बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन व फोटो अनिवार्य है।
21. परीक्षाओं, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, विदाई समारोहों, वार्षिक कार्यक्रमों, समितियों/उच्च अधिकारियों की यात्रा/का दौरा इत्यादि के दौरान अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करनी होगी। इन अवसरों के लिए मेन्यू एवं मुल्य संस्थान की कैंटीन समिति/स्टाफ सचिव से परामर्श कर निर्धारित किया जाएगा।
22. इसके अतिरिक्त किसी अन्य जानकारी हेतु दूरभाष न0 01976.242222 पर संपर्क किया जा सकता हैं

//
प्रधानाचार्य
डा0बी0आर0अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी
अम्बोटा जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

पृष्ठाकन संख्याः जीपीए/जी–11/2004/–2569
दिनांकः– 01/08/2025

प्रतिलिपिः
1. 05 प्रतियां उपायुक्त कार्यालय ऊना को उनके सूचना पट्ट पर आम जनता की सूचनार्थ हेतु।
2. 05–05 प्रतियां उपमण्डलाधिकारी कार्यालय, ऊना, अम्ब, बंगाणा, हरोली और गगरेट जिला ऊना को उनके सूचना पट्ट पर आम जनता की सूचनार्थ हेतु ।
3. 05–05 प्रतियां विकास खंड अधिकारी कार्यालय, ऊना, अम्ब, बंगाणा, हरोली और गगरेट जिला ऊना को उनके सूचना पट्ट पर आम जनता की सूचनार्थ हेतु
4. 10 प्रतियां सार्वजनिक स्थलो पर आम जनता की सूचनार्थ चस्पा करने हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी कैंटीन (आन्तरिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी वेबसाइट (आन्तरिक) को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त को संस्थान की वेबसाइट में अपलोड करें।
7. भण्डारी एवं खजांची (आन्तरिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संस्थान के सूचना पट्ट।

प्रधानाचार्य
डा0बी0आर0अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी
अम्बोटा जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

(अनुलग्नक–अ)

डॉ0 बी0आर0 अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी अम्बोटा जिला ऊना

निविदा संख्या.......................

दिनांक...........................

कैंटीन के लिए खाद्य पदार्थों की सूची

वर्ष 2025–26

कम संख्या	खाद्य पदार्थ का नाम	मूल्य
1	चाय प्रति कप 100 मि0ली0	
2	कॉफी प्लेन प्रति कप 100 मि0ली0	
3	दूध 250 मि0ली0	
4	समोसा प्रति पीस 75 ग्राम	
5	ब्रेड पकोड़ा स्टफड आलू ,मटर पनीर प्रति पीस	
6	आमलेट 02 अंडो का	
7	ब्रेड स्लाइस प्रति	
8	उबला अंडा प्रति	
9	खोया बर्फी प्रति 100 ग्राम	
10	वेसन बर्फी प्रति 100 ग्राम	
11	पकोड़े प्रति 100 ग्राम	
12	पनीर पकोडे प्रति 100 ग्राम	
13	कोल्ड ड्रिंक (Discount on MRP)	
14	दोपहर का खाना (लंच) (चावल, चपाती, दाल/कढ़ी और सब्जी)	
15	सुबह का नाश्ता आलू / गोभी/मूली का परोंठा एवं दही	

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

बोलीदाता का नाम..

बोलीदाता का स्थाई पता..

....

....

....